राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, आजमगढ़ की प्रशासकीय परिषद की दिनांक 20 अक्टूबर 2020 दिन मंगलवार को अपराह्न 03.00 बजे को सभा कक्ष, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज आजमगढ़ से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पन्न 13वीं बैठक का कार्यवृत्त:-

बैठक में उपस्थिति निम्नवत रही :-

01. श्री बालकृष्ण ठरड, अध्यक्ष .
अध्यक्ष,
प्रशासकीय परिषद
राजकीय इन्जीनियरिंग कालेज,
देवगाँव, जनपद-आजमगढ़ ।

02. श्री कृपा शंकर सिंह, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि सदस्य .
विशेष सचिव,
प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन,
लखनऊ

03. प्रो० (डा०) विनय कुमार पाठक, सदस्य.
कुलपति,
डा० ए० पी० जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय,
लखनऊ

04. प्रो० (डा०) दुर्ग सिंह चौहान, सदस्य .
पूर्व कुलपति, उ०प्र० प्रा० वि०, लखनऊ एवं
प्रति कुलाधिपति
जी० एल० ए० विश्वविद्यालय,
मथुरा

05. प्रो० (डा०) जे० पी० सैनी, सदस्य .
कुलपति,
नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी,
सैक्टर 3, द्वारका, नई दिल्ली - 110078 ।

06. प्रो॰ रामजी अग्रवाल सदस्य.
एमेरिटस प्रोफेसर
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बी॰एच॰यू॰,
वाराणसी।

07. प्रो॰ (डा॰) डी॰ के॰ सिंह सदस्य.
विभागाध्यक्ष, मैकेनिकल इंजी॰ विभाग,
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
गोरखपुर

08. प्रो॰ मनोज कुमार मोण्डल, सदस्य.
प्रोफेसर,
केमिकल इंजीनियरिंग विभाग
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बी॰एच॰यू॰,
वाराणसी।

09. श्री अवध किशोर, विशेष कार्याधिकारी, विशेष आमंत्री
तकनीकि शिक्षा परिषद्, लखनऊ

10. श्री लोकेश श्रीवास्तव, विशेष आमंत्री
वित्त एवं लेखाधिकारी,
राजकीय इंजीनियरिंग कालेज
देवगाँव, जनपद - आजमगढ़

11. श्री अनिल कुमार विशेष आमंत्री.
स्टेट प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, SPIU
उ॰ प्र॰

12. प्रो॰ एस॰ पी॰ पाण्डेय सदस्य/सचिव.
निदेशक
राजकीय इन्जीनियरिंग कालेज
देवगाँव, जनपद - आजमगढ़

बैठक में परिषद द्वारा प्रस्तावित एजेंडा बिन्दुओं पर निम्नवत् निर्णय

लिये गये !—

13:01 प्रशासकीय परिषद की 10वीं बैठक दिनांक 02 मार्च 202
को सम्पन्न बैठक की कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।
परिषद द्वारा दिनांक 02 मार्च 2020 को सम्पन्न बैठक
के कार्यवृत्त का अवलोकन किया गया एवं पुष्टिकरण
किया गया।

13:02 प्रशासकीय परिषद की 10वीं बैठक दिनांक 02 मार्च 2020
को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त के सापेक्ष कृत कार्यवाही
की सूचना।
प्रशासकीय परिषद की दिनांक 02 मार्च 2020 को सम्पन्न
10वीं बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन किया गया।
बिन्दु 10.04 के अन्तर्गत परिषद द्वारा संस्थान निर्माण
के सम्बन्ध में प्राप्त प्रशासकीय परिषद के द्वारा प्राप्त
कार्यदायी संस्था को लीगल नोटिस दिए जाने के
पूर्व निर्देश को दोनों प्रशासकीय विभाग के मध्य प्रकरण
होने के कारण शासन स्तर से ही निस्तारित किये जाने
का निर्णय लिया गया।

बिन्दु 10.04 के अन्तर्गत निदेशक कक्ष के निर्माण कार्य के
सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि दीन दयाल गुणवत्ता
सुधार कार्यक्रम हेतु गठित समिति, जिसमे प्राविधिक
शिक्षा विभाग एवं वित्त विभाग के प्रतिनिधि होते है, के
द्वारा सभी शासकीय संस्थानों के प्रस्ताव विचारोपरान्त
अनुमोदित किये जाते हैं। विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक
17 जून 2020 का संज्ञान लिया गया। प्रस्ताव पर संस्थान
की वित्त समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए
निर्देशित किया गया।

बिन्दु 10.06 के अन्तर्गत पूर्व के एन० बी० ए० रिपोर्ट पर संस्थान
में अमानतशिप द्वारा नामित मार्गदर्शक एवं प्रशासकीय परिषद
के सम्मानित सदस्य प्रो० रामजी अग्रवाल के सुझावों के
अनुसार विधिवत तैयारी कर सितम्बर 2021 में पुनः

एन॰बी॰ए॰ प्रत्यायन के लिए आवेदन किये जाने पर सहमति बनी।

बिन्दु 10.12 पर केन्द्रीय क्रय समिति के स्वरूप में निर्धारित संस्थान के दो वरिष्ठ शिक्षकों के नामांकन के सम्बन्ध में अध्यक्ष प्रशासकीय परिषद द्वारा प्रस्तावित निम्न शिक्षकों के नाम पर परिषद द्वारा सहमति सहित नामांकन किया गया :—

01. श्री अशोक कुमार यादव, सहायक आचार्य, आई॰ टी॰ विभाग।
02. श्री अनीश कुमार, सहायक आचार्य, सिविल इन्जी॰ विभाग।

बिन्दु 10.14.03 के अन्तर्गत शिक्षकों की परीवीक्षा अवधि में पदों के स्थायीकरण की प्रतीक्षा न की जाए, परीवीक्षा अवधि समाप्त किये जाने हेतु कुलपति, डॉ॰ ए॰ पी॰ जे॰ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ से अनुमति प्राप्त कर कार्यालय आदेश निर्गत किये जाने का निर्देश दिया गया। इसके साथ पदों के स्थायीकरण हेतु भी प्रयास शासन स्तर से किया जाए।

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा अवधि के सम्बन्ध में प्राथमिक निर्णय लिये [illegible] AKTU से अनुमति प्राप्त किए जाने का संज्ञान [illegible] है। पदों का सृजन शासन द्वारा किया गया है अतः [illegible] नियुक्ति अधिकारी द्वारा कार्यवाही [illegible] किया [illegible]

13.03. प्रशासकीय परिषद की बाईसर्कुलेशन 11 वीं बैठक की कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।
प्रशासकीय परिषद द्वारा बाईसर्कुलेशन के माध्यम से सम्पन्न 11 वीं बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया गया।

13.04. प्रशासकीय परिषद की बाईसर्कुलेशन 11 वीं बैठक के कार्यवृत्त के सापेक्ष कृत कार्यवाही की सूचना।
परिषद द्वारा बाईसर्कुलेशन के माध्यम से सम्पन्न 11 वीं बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया गया।

13.05. प्रशासकीय परिषद की 12 वीं बैठक की कार्यवृत्त का पुष्टिकरण
प्रशासकीय परिषद की दिनांक 18 जून 2020 दिन गुरुवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया गया।

13.06. प्रशासकीय परिषद की 12 वीं बैठक के कार्यवृत्त के सापेक्ष कृत कार्यवाही की सूचना।
प्रशासकीय परिषद की दिनांक 18 जून 2020 दिन गुरुवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पन्न बैठक को की कृत कार्यवाही से अवगत हुयी।

बिन्दु 12.04 पर तीन शिक्षकों की समिति के द्वारा नियमित शिक्षकों के रोस्टर को प्रभावी किये जाने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु 12.06 पर सेवा प्रदाता कर्मचारियों के पारिश्रमिक पर शासनादेश संख्या 31/2020/273/19-2-2020-97 (ल०उ०)/2016 टी०सी० दिनांक 25 अगस्त 2020 के अन्तर्गत पूर्ववत रखे जाने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु 12.09 (क) पर डा० अम्बरीश सिंह के फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के पंजीयन शुल्क भुगतान के सम्बन्ध में निर्णय के क्रम में अध्यक्ष प्रशासकीय परिषद के द्वारा शासन के पत्र के सन्दर्भ से अवगत कराया गया कि शासन द्वारा प्रकरण को संस्थान की प्रशासकीय परिषद स्तर से निस्तारित किये जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। परिषद द्वारा प्रकरण को पृथक से आगामी बैठक में पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया

उपरोक्त बिन्दुओं पर चर्चा में लगभग 2.30 घण्टे से अधिक समय व्यतीत होने पर परिषद के सदस्यों द्वारा कार्यसूची के बिन्दु 13.07 से 13.24 को स्थगित किया गया। सदस्य-सचिव के अनुरोध पर बिन्दु 13.25 के अन्तर्गत अध्यक्ष प्रशासकीय परिषद महोदय द्वारा प्रस्तावित बिन्दुओं पर परिषद द्वारा चर्चा किया गया।

13.25.01 श्री बिपिन महादेवन सहायक आचार्य के पत्र दिनांक 17.03.2020 पर विचार।
प्रकरण को प्रशासकीय परिषद द्वारा निक्षेपित किये जाने

का निर्णय लिया गया।

13.25.02 श्री प्रशान्त सिंह, वाह्य सेवा प्रदाता कर्मचारी के द्वारा पारि
समायोजन की सूचना
प्रशासकीय परिषद द्वारा निक्षेपित किये जाने का निर्णय लिया गया।

13.25.03 ए. आई. सी. टी. ई./ यू.जी. सी. की व्यवस्था के अनुसार पी. एच. डी. तथा अन्य उच्च अर्हताओं के लिए प्रोत्साहन दिये जाने पर सैद्धान्तिक विचार।
सदस्य-सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि शिक्षकों को बिन्दु 13.25.03 के अन्तर्गत प्रस्तावित नान-कम्पाउं वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में शासन स्तर से अग्रिम आदेश निर्गत होने तक रोक लगायी गयी है, जिसपर परिषद द्वारा शासकीय निर्देश के अनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

03 NOV 2020.
(प्रो० एस० पी० पाण्डेय)
सदस्य-सचिव
प्रशासकीय परिषद

(एस० राधा चौहान, I.A.S.)
उपाध्यक्ष
प्रशासकीय परिषद

(बालकृष्ण ठरड)
अध्यक्ष
प्रशासकीय परिषद

मद संख्या 10.14.03 मे उल्लिखित बिन्दु के सम्बन्ध में सूच्य है कि नियुक्त प्राधिकारी ही परिवीक्षा अवधि के सम्बन्ध मे यथोचित निर्णय लेने हेतु सक्षम होता है। परिवीक्षा अवधि के सम्बन्ध मे ए0के0टी0यू0 से अनुमति प्राप्त किये जाने का संस्थान के बायलाज/सोसायटी रूल्स में कोई व्यवस्था नही है। पदो का सृजन शासन स्तर पर किया गया है, अतः संस्थान में सृजित अस्थायी पदों का स्थायीकरण शासन द्वारा किया जायेगा।पदों का स्थायीकरण होने के पश्चात नियुक्त प्राधिकारी के स्तर से परिवीक्षा अवधि के सम्बन्ध में यथोचित निर्णय लिया जाय।

मद संख्या 10.14.03 में उपरोक्त संशोधन सहित कार्यवृत्त अनुमोदन हेतु अग्रसारित।

अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद

(एस॰ राधा चौहान, I.A.S)
उपाध्यक्ष
प्रशासकीय परिषद